



म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय – संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी
छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं.- 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2004SG016758

स. क्र. 2141 / 115 / बिजोरी-हरई / एमपीआरडीसी / 2021 छिंदवाड़ा, दिनांक 25 / 02 / 2021

प्रति,

कलेक्टर,

जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय:- छिंदवाड़ा जिले के अन्तर्गत शासन की एडीबी 6/7 योजनांतर्गत प्रस्तावित बिजोरी-छिन्दी-खापा-हरई मार्ग SH-41 (लंबाई 72.73 कि.मी.) का उन्नयन कार्य में प्रयुक्त होने वाली 6.372 हैक्टेयर वन भूमि में कार्य करने के लिये अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने बाबद्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. सड़क विकास निगम के अन्तर्गत छिंदवाड़ा जिले में शासन की एडीबी 6/7 योजनांतर्गत बिजोरी-छिन्दी-खापा-हरई मार्ग SH-41 (लंबाई 72.73 कि.मी.) का उन्नयन कार्य प्रस्तावित है। जिस हेतु मुख्यालय भोपाल में निविदा आमंत्रण हेतु कार्यवाही प्रचलित है। उक्त मार्ग के कुल कि.मी. 72.73 में से कि.मी. 7.28 कि.मी. का भाग वन क्षेत्र से गुजरता है, जिस हेतु वनक्षेत्र की 6.372 हैक्टेयर वन भूमि उपयोग में ली जावेगी। जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत FRA प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण की कार्यवाही समय सीमा में की जा सके।



संभागीय प्रबंधक
एम.पी.आर.डी.सी. छिंदवाड़ा

स. क्र. 2142 / 115 / बिजोरी-हरई / एमपीआरडीसी / 2021, छिंदवाड़ा, दिनांक 25 / 02 / 2021
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (एडीबी-6/7), म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी (पूर्व), वनमंडल छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. Environmental Safeguard Expert, म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपमहाप्रबंधक (पर्यावरण), म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जुन्नारदेव/अमरवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्री दिलीप सिंह तेकाम, सहायक महाप्रबंधक एवं श्री आर.के. सोनी, प्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी. छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मेसर्स हाईवे इंजीनियरिंग कन्सलटेंट कन्स्ट्रोलियम ब्रिक्स इंजीनियरिंग कन्सलटेंट एण्ड टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संभागीय प्रबंधक